

## निर्माता/पैकर के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

{अन्तर्गत नियम 27 मानक बांट और माप (पैकेज में रखी वस्तुएं ) नियम 2011}

प्रति,

नियंत्रक,  
विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल)  
छत्तीसगढ़ शासन,  
रायपुर

निर्माता/पैकर के रूप में पंजीयन हेतु वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

01. निर्माता/पैकर संस्थान का नाम: -----
02. निर्माता/पैकर संस्थान का पूर्ण पता: -----  
(पिन कोड सहित) -----
03. पैक की जाने वाली वस्तुओं का नाम: -----
04. यदि लघुकृत पते पर पंजीयन करवाना: -----  
चाहते हों तो उसका उल्लेख करें -----
- 05 . जहां पर पैकिंग कार्य किया जाना है -----  
उस स्थान का पूर्ण पता:- -----  
(पिन कोड सहित) -----
- 06 . प्रोपाइटर/भागीदारों/प्रबंध संचालक/-----  
संचालकों के नाम एवं पते:- -----
- 07 केन्द्रीय/राज्य वाणिज्यकर पंजीयन  
संख्याक:- -----
08. नगर निगम/पालिका का पंजीयन क्रमांक -----  
पैक की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा  
(वजन, आयतन, संख्या का विवरण )  
ब्रांड का नाम पैक की जाने वाली मात्राएं  
I-----  
II-----  
III-----  
IV-----  
V-----
09. उपरोक्त वस्तुओं के पैकिंग में उपयोग में लाये जाने  
वाली तौलन/मापन मशीनों/उपकरणों का विवरण एवं  
सत्यापन प्रमाण पत्र क्रमांक, दिनांक

I.....

II.....

III.....

IV.....

10. शुल्क का विवरण:-

चालान क्रमांक -----दिनांक -----

कोषालय/बैंक का नाम -----

11 . आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक -----

हस्ताक्षर

आवेदक (अधिकृत व्यक्ति)

दूरभाष/मोबाईल नं-----

कार्यालय, निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान (नाप तौल, अधिकारी, जिला-----

क्रमांक-----

दिनांक-----

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान नाप तौल, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर उचित माध्यम से पंजीयन शुल्क का मूल इस कार्यालय में रख छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

निरीक्षक

विधिक मापविज्ञान -----

टीप:-

01. आवेदन पत्र स्थानीय विधिक मापविज्ञान नाप तौल, अधिकारी के कार्यालय में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे ।

02. आवेदन पत्र निर्माण /पैकिंग प्रारंभ करने की तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

03. प्रारूप में वर्णित जिन-जिन कार्यालयों / फैक्ट्री/पैकिंग प्लांट/गोदाम आदि में दूरभाष की सुविधा हो तो वह भी उल्लेखित करें ।

